



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1521]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2015/ आषाढ़ 26, 1937

No. 1521]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2015/ASHADHA 26, 1937

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2015

**का.आ. 1946(अ).**— केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

दूसरी अनुसूची में, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से संबंधित राजस्थान शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 13घघग के सामने, स्तंभ (2) में खण्ड (घ) और उससे संबंधित स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>“अप्रैल, 2010 से आगे;</p> <p>यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो निम्नलिखित महाविद्यालयों से इस अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं और अपनी इंटरशिप को पूरा किया है, अर्थात्:-</p> <p>डॉ. मदन प्रताप खुटेडा राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वनस्थली मार्ग, स्टेशन रोड, जयपुर-302 006;</p> <p>स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, जय विला, नारायण सिंह रोड, त्रिमूर्ति सर्कल के पास, जयपुर-302004;</p> <p>युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शिवाजी पार्क, अलवर;</p>

			<p>भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बी. नारायण गेट, भरतपुर; श्री मांगीलाल निर्बान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एम. एन. एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बीकानेर- 334001; और जे.आर. तांतिया चैरिटेबल ट्रस्ट, गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर।”</p>
--	--	--	---

[सं. आर-13040/102/2008-एचडी (तकनीकी)]

अनिल गनेरीवाला, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः**- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1320(अ) तारीख 15 मई, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2015

**S.O. 1946(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule, under the heading RAJASTHAN, against serial number 13DDC relating to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, for clause (d) under column (2), the entries relating thereto in column 4, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
			<p>“From April, 2010 onwards; if granted to students who have passed out and completed their internship during this period from the following colleges, namely:— (i) Dr. Madan Pratap Khuteta Rajasthan Homoeopathic Medical College, Vanasthali Marg, Station Road, Jaipur-302 006; (ii) Swasthya Kalyan Homoeopathic Medical College and Research Centre, Jai Villa, Narain Singh Road, Near Trimurti Circle, Jaipur- 302004; (iii) Yuvraj Pratap Singh Memorial Homoeopathic Medical College, Shivaji Park, Alwar; (iv) Bhartiya Homoeopathic Medical College, Be Narayan Gate, Bharatpur. (v) Shri Mangilal Nirban Homoeopathic Medical College and Research Institute, M.N.S. Hospital and Research Center, Bikaner-334001; and (vi) J.R. Tantiya Charitable Trust, Ganganagar Homoeopathic Medical College, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar.”</p>

[No. R-13040/102/2008-HD(Tech)]

ANIL GANERIWALA, Jt. Secy.

**Note:** - The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O.3496, dated the 11<sup>th</sup> October, 1977 and last amended *vide* notification number S.O. 1320(E), dated the 15<sup>th</sup> May, 2015.